

निर्देश

- (1) उपाधि प्रमाण पत्र/प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करने के पूर्व संबंधित परीक्षा के समस्त अंक सूचियों की भली भाँती जांच कर लेवें, नाम हायर सेकन्ड्री की अंकसूची अनुसार होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि यथा—नाम माता व पिता का नाम, रोल नं नामांकन/पंजीयन क्रमांक प्राप्तांक, एवं परीक्षाफल आदि में किसी तरह की त्रुटि हो तो संशोधन/सुधार करा लेवें।
- (2) आवेदक/छात्र स्वतः आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक एवं सही—सही भरें।
- (3) आवेदन पत्र में दिये दोनो पते के स्थान पर एक समान ही पते लिखे। अलग—अलग पते न लिखे।
- (4) चिकित्सा महा./आयुर्वेद महा./दंत चिकित्सा/फिजियोथैरापी के छात्र अपना आवेदन समस्त अंक सूचियों एवं इंटरशीप पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति सहित ही/प्रार्चाय के माध्यम से आवेदन करें।
- (5) पी.एच.डी./एम.डी./एम.एस. के छात्र परीक्षाफल एवं थीसिस के मुख्य पृष्ठ की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
- (6) संबंधित समस्त परीक्षाओं के अंक सूचियों की प्रमाणित छाया प्रति हायर सेकन्ड्री की अंकसूची सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (7) वर्ष 1986 से 1988 तक के स्नातक उपाधि के लिए फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण के अंक सूची की छाया प्रति (प्रमाणित) संलग्न करें।
- (8) वर्ष 2006 से स्नातक उपाधि के लिए पर्यावरण—अध्ययन उत्तीर्ण अंकसूची की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
- (9) 1. 1983 तक की उपाधि शुल्क रु. 360/— 1984 से उपाधि शुल्क 300/—
2. URGENT – FEES रु. 700/— (एच्छिक) [साक्षात्कार आदि हेतु उपाधि की तत्काल आवश्यकता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।]
- (10) डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण—पत्र के लिए हलफनामा एवं पुलिस रिपोर्ट (FIR) की प्रति स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो एवं शुल्क रु. 750/— देना होगा। मूल उपाधि प्रमाण—पत्र प्रेषित होने के छै माह बाद ही डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण—पत्र दिया जा सकेगा। 1983 से पूर्व के लिए रु. 60/. अतिरिक्त देय होगा।
- (11) उपाधि प्रमाण—पत्र पंजीकृत डाक से दिये गये पते पर भेजी जायेगी।
- (12) वि.वि. द्वारा निर्धारित काउण्टर में अपना आवेदन पत्र जांच पश्चात ही शुल्क जमा करें।
- (13) स्वशासी महाविद्यालय के छात्र अपना आवेदन—पत्र अंक सूची की प्रमाणित छाया प्रति सहित संबंधित महाविद्यालय के प्रार्चाय से अग्रेषित कराये। स्वशासी महाविद्यालय की अंकसूची में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो स्वशासी महाविद्यालय से ही सुधार करावें।
- (14) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट को कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को देय हो प्रेषित किया जा सकता है।